भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 748
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

एलएलबी डिग्री की मान्यता

748 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद ने कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के कुछ अन्य विधि महाविद्यालयों में सांध्यकालीन कक्षाओं के माध्यम से एलएलबी डिग्री को मान्यता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में अधिवक्ताओं के रूप में पंजीकृत ऐसे एलएलबी डिग्री धारकों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(घ) एलएलबी की सांध्यकालीन कक्षाएं बंद होने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या ऐसे एलएलबी डिग्री धारकों को न्यायालयों में वकालत करने से प्रतिबंधित किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा सूचित किया गया है कि विधिक शिक्षा के पूर्व नियम, 1989 के अधीन, बीसीआई ने दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों के संस्थानों सहित कुछ विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों द्वारा तत्कालीन अभिभावी मानकों के अनुपालन के अधीन सांयकालीन संचालित होने वाले एलएलबी पाठ्यक्रमों को अनुज्ञा और मान्यता दी थी। तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 से भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विधिक शिक्षा के नियम, 1999 (जिसे उस समय विधिक शिक्षा के मानक और विधि में डिग्री की

मान्यता (नियम) कहा गया है) के माध्यम से सभी राज्यों में सांयकालीन संचालित होने वाले विधि डिग्री पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त कर दी गई है।

(ग) : सांयकालीन कक्षाओं के माध्यम से एलएलबी डिग्री प्राप्त करने वालों का कोई डेटा उपलब्ध/रखा नहीं है।

(घ) : भारतीय विधिज्ञ परिषद ने अपने विधिक शिक्षा नियम, 2008 के अधीन इस स्थिति को लगातार बनाए रखा है, जिसमें यह अनिवार्य है कि एलएलबी एक नियमित, पूर्णकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसके लिए निहित दैनिक और साप्ताहिक कक्षा घंटे, न्यूनतम उपस्थिति और सुबह 8.00 बजे से शाम 7.00 बजे के बीच एक निश्चित शैक्षणिक शिक्षण अवधि की अपेक्षित होती है। तद्नुसार, 2000-2001 से सांयकालीन, रात्रि विद्यालय, अंशकालिक, सप्ताहांत, अवकाश, ऑनलाइन या दूरस्थ एलएलबी. पाठ्यक्रमों की कोई राज्य-स्तरीय मान्यता विद्यमान नहीं है और न ही रही है, भारतीय विधिज्ञ परिषद ने कानूनी नियमों और परिपत्रों के माध्यम से इसे यथास्थिति रखा है।

(ङ) और (च) : उपरोक्त कथन के अनुसार ऐसे एलएल.बी. की डिग्री धारक जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 1999-2000 तक, ना कि उसके पश्चात, सांयकालीन कक्षाओं के माध्यम से अपनी विधि की डिग्री पूरी कर ली है, अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशित होने के पात्र होंगे।
